राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांकः–स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / 148 /2021 दिनांक : 13.09.2021

श्रीमती नुसरत बानो (RJ0363), विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि. प्रकरण), दौसा को दिनांक 04.10.2021 से 02.11.2021 तक *30* दिनों का ***संतान परवरिश अवकाश (****Child Care Leave****)*** दिनांक 02.10.2021 से 03.10.2021 एवं 03.11.2021 से 07.11.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती रेखा चौधरी (RJ0409), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा को श्रीमती नुसरत बानो के उक्त ***अवकाश*** की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ–साथ विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि. प्रकरण), दौसा के पद का ***अतिरिक्त कार्यभार*** सम्पादित किये जाने हेतु एतद्द्वारा ***पदस्थापित/नियुक्त*** कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
2. ***श्रीमती रेखा चौधरी*** (RJ0409), जिनको विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि. प्रकरण), दौसा के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,

10.09.2021

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांकः–स्था.बी.2 (4)/69/2016/ 5746 दिनांक 13 .09.2021

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा को उनके पत्रांक 8740 दिनांक 04.09.2021 के सन्दर्भ में ।
3. ***श्रीमती नुसरत बानो*** (RJ0363), विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि. प्रकरण), दौसा ।
4. विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि. प्रकरण), दौसा ।
5. ***श्रीमती रेखा चौधरी*** (RJ0409), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा ।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण–पदस्थापन लिपिक, आर.जे.एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

12.9.2021

सहायक रजिस्ट्रार